राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/2025/ई–53892 जयपुर, दिनांकः–17.02.2025

::आदेश::

राज्य में नगर पालिका/परिषद/निगम के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा समय–समय पर अधिसूचनाऐं जारी की गई है।

इस संबंध में नवगठित नगर पालिका/परिषद/निगम की सीमावृद्धि एवं क्षेत्र विस्तार एवं नवीन गठन की अधिसूचना, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक करने की अधिसूचनाऐं भी समय–समय पर स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचनाओं के क्रम में जारी की जा रही है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. जो ग्राम पंचायत सम्पूर्ण रूप से नगर पालिका/परिषद/निगम में सम्मिलित कर ली गई है, को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाकर अधिसूचनाऐं जारी कर दी गई है तदनुसार कार्यवाही करें।
2. जिन ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से नगर पालिका/परिषद/निगम की सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है उन राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक करने की कार्यवाही कर अधिसूचित कर दिया गया है, उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत में शेष रहे राजस्व ग्रामों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शेष रहे ग्रामों में सरपंच/उप सरपंच/वार्डपंच पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।
3. अभी हाल ही में ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने पर ऐसी आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में अन्यथा योग्य हो तो विभागीय आदेश दिनांक 16.1.2025 के अनुक्रम में प्रशासक नियुक्त किया जायेगा एवं प्रशासकीय समिति गठित की जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान ।
3. सम्भागीय आयुक्त, समस्त।
4. जिला कलक्टर, समस्त ।
5. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

Document certified by Indrajeet Singh <indrajeetsinghras@gmail.com>.
Digitally Signed by Indrajeet Singh
Designation: Deputy Commissioner
Date :17-02-2025 01:18:43

RajKaj Ref No.: 13536711